आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(पीएफएमएस)एनएसएस/आकाशि/2018/557-58 दिनांकः 19 जून, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत सत्र 2019—20 में आयोजित कार्यक्रमों का उपयोगिता प्रमाण—पत्र भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ :— आयुक्तालय का समसंख्यक पत्रांक 445 दिनांक 25.11.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ आदेश क्रमांक 445 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत सत्र 2019—20 में जिला स्तरीय/सम्भाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु आपको एन. एस.एस. से स्वीकृत राशि में से भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं शेष रही राशि आयुक्तालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

तत्पश्चात् आयुक्तालय के पत्र कमांक एफ.8(पीएफएमएस)एनएसएस/आकाशि/ 18/ 538 दिनांक 18 मार्च, 2020 के द्वारा आपको पुनः निर्देशित किया गया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत सत्र 2019—20 में आयोजित कार्यक्रमों का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष राशि को एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 37376554276 में सीधा जमा करके nssccerај@gmail.com पर दिनांक 20.03.2020 तक सूचित करे। परन्तु आज दिनांक तक आप द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.06.2020 तक उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं शेष राशि जमा करवा कर nssccerај@gmail.com पर सूचित करें ताकि राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, शासन सचिवालय को सूचित किया जा सके।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 19/6/2020
(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),

प्रतिलिपि —

1. प्रभारी, वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

(हस्ताक्षर) 19/6/2020
(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),